भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1650
सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

टांसजेंडरों के लिए रोजगार

1650. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ट्रांसजेंडरों के रोजगार के लिए आरम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) कार्यस्थलों पर ट्रांसजेंडरों के प्रति भेदभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में ट्रांसजेंडरों को अब तक दिए गए रोजगार की संख्या का ब्यौरा रखा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित सभी के लिए रोजगार सृजित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे देश में नए रोजगार सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना), स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि को लागू करना। भारत सरकार देश में रोजगार सृजन हेतु पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि को भी प्रोत्साहित कर रही है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव (कार्य स्थलों सहित) करने पर रोक लगाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी, वेतन संहिता, 2019 में भर्ती, रोजगार की शर्तों और पारिश्रमिक के भुगतान आदि में लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के प्रावधान किए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, जो ट्रांसजेंडर श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। दिनांक 06.02.2023 तक पश्चिम बंगाल राज्य के कुल 631 ट्रांसजेंडर श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, शिक्षुता, इंटर्नशिप आदि जैसी विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को भी लागू कर रही है। ये सेवाएं एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं (ट्रांसजेंडरों सहित) के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दिनांक 7.02.2023 तक एनसीएस पोर्टल पर पश्चिम बंगाल राज्य के कुल 1043 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत किया गया है। ऐसे व्यक्तियों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 13.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1650 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

ई-श्रम डैशबोर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, पश्चिम बंगाल राज्य में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ट्रांसजेंडर श्रमिकों की जिला-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**जिला**	**कुल पंजीकरण (06/02/2023 तक)**
1.	24 परगना उत्तर	64
2.	24 परगना दक्षिण	46
3.	अलीपुरद्वार	3
4.	बांकुड़ा	19
5.	बीरभूम	65
6.	कूचबिहार	56
7.	दार्जिलिंग	8
8.	दिनाजपुर दक्षिण	23
9.	दिनाजपुर उत्तर	10
10.	हुगली	21
11.	हावड़ा	22
12.	जलपाईगुड़ी	9
13.	झारग्राम	1
14.	कलिम्पोंग	0
15.	कोलकाता	11
16.	मालदा	32
17.	मेदिनीपुर पूर्व	45
18.	मेदिनीपुर पश्चिम	36
19.	मुर्शिदाबाद	26
20.	नादिया	31
21.	पश्चिम बर्धमान	24
22.	पूर्ब बर्धमान	61
23.	पुरुलिया	18
	कुल	**631**

लोक सभा के दिनांक 13.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1650 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

पश्चिम बंगाल राज्य में दिनांक 07.02.2023 तक एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वालों (ट्रांसजेंडर) की जिला-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**जिला**	**एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वालों (ट्रांसजेंडर) की संख्या**
1.	24 परगना उत्तर	75
2.	24 परगना दक्षिण	74
3.	अलीपुरद्वार	1
4.	बांकुड़ा	33
5.	बीरभूम	63
6.	बर्धमान (पूर्व और पश्चिम में विभाजन से पहले)	77
7.	कूचबिहार	27
8.	दार्जिलिंग	5
9.	दिनाजपुर दक्षिण	40
10.	दिनाजपुर उत्तर	108
11.	हुगली	32
12.	हावड़ा	25
13.	जलपाईगुड़ी	17
14.	झारग्राम	-
15.	कलिम्पोंग	-
16.	कोलकाता	19
17.	मालदा	144
18.	मेदिनीपुर पूर्व	61
19.	मेदिनीपुर पश्चिम	68
20.	मुर्शिदाबाद	120
21.	नादिया	35
22.	पश्चिम बर्धमान	3
23.	पूर्व बर्धमान	2
24.	पुरुलिया	14
	योग	**1043**